क्र०-

(40)

बी0 प्रधान, प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.14 को जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही:–

1– उपस्थिति:– सूची संलग्न

2– कार्यवाही :

सर्वप्रथम प्रधान सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

,आज की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले जिला कल्याण पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। इसकी सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी को दिये जाने का भी निदेश दिया गया।

सचिव महोदय द्वारा कार्यावली के अनुसार समीक्षा के कम में निम्नांकित निदेश दिया गया:–

1–वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभाग द्वारा स्वीकृत/आंवटित राशि का व्यय शत–प्रतिशत किया जाय।

2–विभाग के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाय।

3– अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के अनुपालन एवं अत्याचार राहत अनुदान की राशि समय पर उपलब्ध कराया जाय।

छात्रवृति योजना वर्ष 2013–14 के वितरण की समीक्षा –

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि अधिकतर जिला में छात्रवृत्ति योजनाओं में प्रगति अत्यंत धीमी है। प्रधान सचिव द्वारा इस पर असंतोष व्यक्त किया गया। स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वर्ष 2013–14 में छात्रवृति योजना की राशि वितरण का कार्य निश्चित रूप से समय पर सम्पन्न कराया जाये।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलों के द्वारा आंवटित राशि का व्यय नही किया जायेगा उनपर पर कार्रवाई की जाय।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वर्ष 2013–14 में अगर अधिक राशि की आवश्यकता हो तो विभाग को मांग शीध्र भेजा जाय। यह हमेशा ध्यान में रखना है कि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के कोई छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित न रहें।

1406

जिलावार छात्रवृति योजना वर्ष 2013–14 के वितरण की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार पाई गई:— (राशि लाख में)

क0	जिला का नाम	आवंटन	निकासी	व्यय	लाभान्वित
1	2	3	4	5	6
1	पटना	3647.96	3601.00	2896.64	133701
2	नालंदा	2044.27	2041.00	1221.00	101678
3	रोहतास	1990.79	1989.47	1416.40	94427
4	भभुआ	1768.87	1613.00	994.72	94493
5	भोजपुर	1554.32	1553.40	1200.17	99181
6	बक्सर	1568.11	1567.58	760.21	61323
7	गया	4479.76	4457.00	3434.72	296386
8	जहानाबाद	1027.78	1027.30	204.85	46192
9	अरवल	381.21	308.25	282.73	25649
10	नवादा	2090.27	2089.08	1678.23	141512
11	औरंगाबाद	3453.27	2940.00	0.00	0
12	सारण	2221.65	2010.10	1311.37	118536
13	सिवान	1795.68	1237.00	1073.27	81513
14	गोपालगंज	1225.11	1024.20	0.00	0
15	मुजफ्फरपुर	2218.10	2204.42	1442.29	140114
16	सीतामढ़ी	1212.85	1212.00	1059.00	95755
17	शिवहर	219.70	219.65	206.81	22224
18	प0 चम्पारण	1883.56	0.00	0.00	0
19	पूर्वी चम्पारण	1273.37	1272.00	1172.00	96666
20	वैशाली	1507.01	1505.45	1281.97	125207
21	दरभंगा	1607.37	1605.95	1131.00	123200
22	मधुबनी	1639.79	1488.50	1481.35	151007
23	समस्तीपुर	1608.19	1606.44	1573.78	137032
24	सहरसा	617.61	616.46	551.55	60117
25	सुपौल	860.74	629.08	629.08	61377
26	मधेपुरा	807.70	839.41	684.91	60635
27	पूर्णिया	1331.04	1285.20	1174.91	90229
28	अररिया	503.83	436.89	398.78	35171
29	किशनगंज	370.93	244.22	244.22	224678
30	कटिहार	886.46	835.65	657.43	70209
31	भागलपुर	1695.79	1614.73	949.20	82530
32	बांका	695.53	0.00	0.00	0
33	मुंगेर	923.66	890.59	572.61	50675
34	लखीसराय	439.84	532.42	481.97	41245
35	शेखपुरा	497.28	397.06	295.09	24303
36	जमुई	820.71	961.32	866.33	74846
37	खगड़िया	563.49	547.98	527.83	0
38	बेगूसराय	1123.65	1122.73	877.03	85438
	मुख्यालय	**4719.80**	**0.00**	**0.00**	**0**
	कुल	59277.05	**49526.53**	**34733.45**	**2947249**

पुनः प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी, राशि का व्यय करना सुनिश्चित करे। प्रधान सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि वैसे जिला यथा–मुजफफरपुर, मधुबनी एवं भागलपुर, जिनके द्वारा राशि का व्यय नहीं किया गया है उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया और उनके माह मार्च का वेतन तबतक रोका जाय जबतक वे राशि का व्यय नही कर लेते है।

मुख्यालय स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति की स्वीकृति दिनांक–26.03.2014 तक निश्चित रूप से करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(अनुपालन – निदेशक / प्रमंडलीय उप निदेशक / जिला कल्याण पदाधिकारी)

2– <u>अत्याचार राहत से अनुदान मद</u>

समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, द्वारा अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली–1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक–07–02–2014 के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

(1) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम–17 के आलोक में नियमित बैठक आयोजित की जाय एवं जिला स्तर पर एक बैठक आयोजित करने वाले जिला को पत्र भेजा जाए।

(अनुपालन–विभाग / जिला पदाधिकारी / जिला कल्याण पदाधिकरी)

(2) सभी जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम–2011 के नियम– 12(4) के आलोक में अत्याचार के पीडितों को त्वरित गति से राहत राशि एवं पुर्नवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही हत्या / बलात्कार के मामले में आश्रित / पीडित को नियमानुसार पेशन देने की कार्रवाई ससमय की जाए। पेंशन के लाभुको की सूची तैयार कर उपलब्ध करायी जाय। इसके लिए आवश्यक राशि का मांग पत्र ससमय उपलब्ध कराया जाय। अत्याचार राहत मद में राशि उपलब्ध नही रहने पर नियमावली–1995 के नियम–12(4) के आलोक में तत्काल किसी मद में उपलब्ध राशि से राहत अनुदान दिया जाय। जिसका समायोजन बाद में आवंटित राशि से किया जाएगा।

(अनुपालन–विभाग / जिला पदाधिकारी / जिला कल्याण पदाधिकरी)

अत्याचार से राहत मद में जिला कल्याण पदा0 से यथाशीध्र राशि व्यय करने का निदेश दिया गया । प्रधान सचिव, द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलो यथा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी इत्यादि ने आवंटित राशि की निकासी नही की है उनकी वेतन रोकी जाय एवं स्पष्टीकरण पूछी जाय।

(अनुपालन – जिला कल्याण पदाधिकारी)

निम्नांकित जिला द्वारा अत्याचार राहत से अनुदान मद में राशि की मांग की गई :–

जिला का नाम	राहत अनुदान में मांग
गोपालगंज	28.00 लाख रू0
जहानाबाद	10.00 लाख रू0
सिवान	2.00 लाख रू0
मुंगेर	2.50 लाख रू0
समस्तीपुर	2.00 लाख रू0
बेगूसराय	10.00 लाख रू0

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अत्याचार राहत से अनुदान मद में उपलब्ध राशि से आवंटन हेतु संचिका तुरंत उपस्थापित किया जाये।

(अनुपालनः– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

3– आवासीय विद्यालयः

प्रधान सचिव द्वारा आवासीय विद्यालयों की समीक्षा के कम में निम्नांकित निदेश सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों दिया गया :–

- विभाग के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए आवदेन पत्र मांग लिया जाय।
- अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन के साथ–साथ अच्छे आवासन की सुविधा दी जाय।
- सभी जिला कल्याण पदाधिकारी यात्रा कार्यकम (Tour Programme) देकर अगले 15 दिनों के अन्दर संबंधित विद्यालयों का निरीक्षण करेगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग/जिला पदाधिकारी/प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करायेगे।

(अनुपालन – सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

- विभाग के स्तर पर उड़नदस्ता बनाकर भेजा जाय एवं प्रत्येक आवासीय विद्यालय की जांच करायी जाय।

(अनुपालन – निदेशालय)

4–मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधावृति योजना :–

प्रधान सचिव द्वारा वर्ष 2013 के मेधावृति योजना राशि का वितरण 31/03/2014 तक करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

403

5–निरीक्षण– सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी पदाधिकारी अपने–अपने कार्यालय एवं आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए निरीक्षण टिप्पणी मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेगें।

(अनुपालन – प्रमंडलीय उप निदेशक, क0एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

6–छात्रावास :– प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि छात्रावासों का निरीक्षण माह में एकबार औचक निरीक्षण करेगें। निदेशक/अपर सचिव को निदेश दिया गया कि मुख्यालय स्तर से उडन दस्ता (Flying Squad) बनाकर समय–समय पर योजनाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की जांच करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन – प्रमंडलीय उप निदेशक, क0एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

21/3/14
(बी0 प्रधान)
प्रधान सचिव।
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 563 पटना, दिनांक– 24.3.14

प्रतिलिपिः– सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/14
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 563 पटना, दिनांक– 24.3.14

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(क0)/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मियोंगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/14
प्रधान सचिव।

1/PCR(विविध)09-34/2011